भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2633
(19 दिसंबर, 2023 को उत्तर दिए जाने के लिए)

असम में ग्रामीण विकास योजनाओं के लिए निधि

2633. श्री प्रद्युत बोरदोलोई:

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि असम के लिए स्वीकृत 1076 करोड़ रुपए में से केवल 180 करोड़ रुपए का ही उपयोग किया गया है और विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं के लिए केवल 26 प्रतिशत कार्य ही पूरे हुए हैं;

(ख) क्या सरकार ने असम में खराब कार्य-निष्पादन के कारणों की पहचान की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार द्वारा असम में बाधाओं को दूर करने और निधियों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) क्या भ्रष्टाचार और नौकरशाही में खामियों को दूर करके योजनाओं की दक्षता में सुधार लाने के लिए कोई तंत्र है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(साध्वी निरंजन ज्योति)

(क) से (ख): ग्रामीण विकास मंत्रालय असम राज्य सहित देश के ग्रामीण क्षेत्रों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गांधी नरेगा), प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी), प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई), दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम), दीन दयाल उपाध्याय-ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई), ग्रामीण स्वरोजगार एवं प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई),

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) जैसी अनेक कल्याणकारी योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है। इसके अलावा ग्रामीण विकास और गरीबी उपशमन के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) का वॉटरशेड विकास घटक (डब्ल्यूडीसी) कार्यान्वित कर रहा है।

इस मंत्रालय की योजनाओं/कार्यक्रमों के अंतर्गत निधियों का केन्द्रीय घटक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनके पास उपलब्ध अव्ययित शेष राशि को ध्यान में रखते हुए और पहले से दी गई निधियों के उपयोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर जारी किया जाता है। चालू वर्ष के दौरान ग्रामीण विकास मंत्रालय की विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं के अंतर्गत असम राज्य को स्वीकृत/जारी की गई निधियां तथा उसके द्वारा उपयोग की गई निधियों का ब्यौरा, जहां कहीं लागू है/रखा गया है, निम्नानुसार है:

i. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत वर्तमान वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान (दिनांक 15.12.2023 तक) असम राज्य को मजदूरी, सामग्री और प्रशासनिक आकस्मिक व्यय के लिए 1,715.86 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है और उक्त अवधि के दौरान राज्य में कुल 4.77 लाख कार्य पूरे किए गए हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना एक मांग आधारित योजना है। इसलिए, इस योजना के तहत कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया जाता है।

ii. पीएमएवाई-जी के तहत असम राज्य को 19,79,219 आवासों का लक्ष्य आवंटित किया गया है, जिसमें से 19,76,305 आवास स्वीकृत किए गए हैं और 16,94,020 आवासों का कार्य पूरा कर लिया गया है जो आवंटित लक्ष्यों का 85% से अधिक है। असम राज्य को केन्द्रीय अंश के रूप में कुल 21,962.15 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं, जिसमें से राज्य ने 24,035.12 करोड़ रुपए (90:10 के अनुपात में जारी किए गए राज्य अंश सहित) का उपयोग किया है।

iii. प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अंतर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष में असम राज्य को 590.00 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। वर्तमान वर्ष के लिए पीएमजीएसवाई के अंतर्गत असम राज्य में अब तक किया गया व्यय 382.00 करोड़ रुपए है। पीएमजीएसवाई के विभिन्न घटकों के अंतर्गत असम में 32,420 कि.मी. स्वीकृत सड़क लंबाई में से 31,342 कि.मी. (लगभग 97%) सड़क का कार्य पूरा हो चुका है। पीएमजीएसवाई-I और II के तहत कार्यों को पूरा करने की अंतिम तिथि मार्च, 2024 है, जबकि पीएमजीएसवाई-III कार्यों को पूरा करने की अंतिम तिथि मार्च, 2025 है। इस प्रकार, असम राज्य में पीएमजीएसवाई का निष्पादन संतोषजनक है।

iv. डीएवाई-एनआरएलएम के अंतर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान, 398.43 करोड़ रुपए के केन्द्रीय आवंटन में से असम राज्य सरकार द्वारा किया गया व्यय 279.09 करोड़ रुपए है जो 70.05 प्रतिशत है। इस अवधि के दौरान, 18193 एसएचजी (स्व-सहायता समूह) के गठन के लक्ष्य की तुलना में अब तक 17525 एसएचजी का गठन किया गया है।

v. एनएसएपी योजनाओं के तहत, केंद्र सरकार ने प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिए (राज्य के लिए निर्धारित अधिकतम सीमा) लाभार्थियों की अधिकतम सीमा निर्धारित की है। वर्तमान में, एनएसएपी योजनाएं लगभग 3 करोड़ बीपीएल लाभार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करती हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां राज्य अधिकतम सीमा अथवा एनएसएपी पोर्टल पर डिजिटल किए गए लाभार्थियों की संख्या, जो भी कम हो, के अनुसार जारी की जाती हैं। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान असम राज्य को 144.90 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं और 812099 लाभार्थियों को शामिल किया गया है (दिनांक 14.12.2023 तक)। एनएसएपी की पेंशन योजनाओं ने असम सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पहले ही 100% लक्ष्य प्राप्त कर लिया है।

vi. डीडीयू-जीकेवाई और आरएसईटीआई के तहत, असम सरकार को वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान अब तक कोई निधि जारी नहीं की गई है।

vii. डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 2.0 के तहत, वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26 तक परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए असम को 310.60 करोड़ रुपए की कुल लागत से 1.36 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को शामिल करने वाली कुल 31 वाटरशेड परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। अब तक राज्य को केंद्रीय अंश के रूप में 138.30 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार राज्य ने 120.27 करोड़ रुपए का उपयोग किया है (उपयोग में केंद्रीय अंश और राज्य अंश दोनों शामिल हैं)।

(ग) से (घ): यह मंत्रालय इन योजनाओं का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न उपाय कर रहा है ताकि इनके लाभ देश के ग्रामीण क्षेत्रों में सभी गरीबों तक पहुँच पाएं। इस संबंध में अपनाई गई कुछ प्रमुख कार्यनीतियां इस प्रकार हैं:

(i) यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कि योजनाएं अपने उद्देश्य को प्राप्त करें, मंत्रालय ने ग्रामीण विकास योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी और मूल्यांकन के लिए विभिन्न

स्तरों और फॉर्मेट वाली व्यापक व्यवस्था तैयार की है, जिसमें निष्पादन समीक्षा समिति की बैठकें, जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति ("दिशा") की बैठकें, राष्ट्रीय स्तर के निगरानीकर्ता (एनएलएम), क्षेत्र अधिकारी योजनाएं, साझा समीक्षा मिशन, समवर्ती मूल्यांकन और प्रभाव निर्धारण अध्ययन शामिल हैं। समय-समय पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की विशिष्ट समीक्षाएं भी की जाती हैं।

(ii) ग्रामीण विकास की योजनाओं को एण्ड-टू-एण्ड अंतरण आधारित एमआईएस में शामिल किया गया है, जिससे सभी हितधारक वास्तविक समय के आधार पर योजनाओं की स्थिति की निगरानी कर पाते हैं। कार्यों के जियो-टैग और टाइम्स स्टैम वाले फोटोग्राफ लिए जाते हैं। ग्रामीण विकास योजनाओं के समस्त आंकडे पब्लिक डॉमेन में उपलब्ध हैं।

(iii) उपर्युक्त के अलावा मंत्रालय ने कार्यों को पूरा करने के लिए पर्याप्त निधियों की व्यवस्था की है तथा वन विभाग की मंजूरी जैसी रुकावटों को दूर करने के लिए पर्यावरण और वन मंत्रालय या बैंकों से आवश्यक सहयोग की व्यवस्था भी की है।

(iv) महात्मा गांधी नरेगा योजना और पीएमएवाई-जी जैसी कुछ योजनाओं की सामाजिक लेखा परीक्षाएं भी कराई जाती हैं। मनरेगा कार्यों के विषय में यदि कोई शिकायतें प्राप्त हों तो उन पर कार्रवाई करने के लिए लोकपाल की नियुक्ति भी की जाती है। इसके अतिरिक्त, ग्रामीण विकास की सभी योजनाओं में शिकायत का निवारण करने पर विधिवत ध्यान दिया जा रहा है।

(v) राज्यों को कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त कर्मचारी भर्ती करने की सलाह दी जाती है। कर्मचारियों के संबंध में मानक निर्धारित किए गए हैं। कार्मिक नियुक्त करने तथा अन्य प्रशासनिक खर्चों में सहायता के लिए निधियां प्रदान की जाती हैं। समय-समय पर कार्यक्रम कार्मिकों के प्रशिक्षण और उन्मुखीकरण की व्यवस्था भी की जाती है।

(vi) प्रशासनिक और तकनीकी पर्यवेक्षण तथा लेखा परीक्षा के मानक निर्धारित किए गए हैं। निरीक्षण के लिए मोबाइल ऐप्लिकेशन जैसे कि एरिया ऑफिसर ऐप विकसित किया गया है। अन्य क्षेत्रों में भी इसी प्रकार के ऐप विकसित किए गए हैं या किए जा रहे हैं। उनके अनुसार अधिकारियों की निगरानी की जाती है।

(vii) निधि जारी करने संबंधी प्रस्ताव और दस्तावेज तैयार करने के लिए राज्य सरकार के साथ नियमित समन्वय किया जाता है और इस विषय में उन्हें समय पर सलाह दी जाती है।

देरी के मामलों में निधियां जारी करने के अनुरोध के संबंध में उच्चतर स्तरों पर मामला उठाया जाता है।

(viii) योजनाओं के समुचित कार्यान्वयन के लिए जमीनी स्तर से मांग को बढ़ावा देने के लिए महिला नेटवर्कों, सामुदायिक संगठनों और सामाजिक संगठनों से सहयोग लिया जाता है।

(ix) योजनाओं के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए वॉल पेंटिंग सहित सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) अभियान चलाए जाते हैं।

(x) एनएसएपी के अंतर्गत राज्य सरकारों को केंद्र सरकार द्वारा दी गई सहायता में पूरक सहायता प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

(xi) डीएवाई-एनआरएलएम में यह सुनिश्चित किया जाता है कि गरीबों को अपनी संस्थाओं के प्रबंधन, उन्हें बाजारों से जोड़ने, अपनी मौजूदा आजीविकाओं के प्रबंधन, ऋण का उपयोग करने की अपनी क्षमता बढ़ाने तथा ऋण पाने की अपनी योग्यता बढ़ाने इत्यादि के संबंध में अपेक्षित कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाए। लक्षित परिवारों, एसएचजी, उनके संघों, सरकारी कर्मियों, बैंक अधिकारियों, गैर सरकारी संगठनों तथा अन्य प्रमुख हितधारकों के निरंतर क्षमता विकास के बहुद्देश्य दृष्टिकोण की परिकल्पना की गई है। एसएचजी और उनके संघों तथा अन्य समूहों के क्षमता निर्माण के लिए सामुदायिक व्यवसायी तथा सामुदायिक संसाधन व्यक्ति तैयार करने तथा उन्हें नियुक्त करने पर विशेष ध्यान दिया जाता है। जानकारियों का प्रचार-प्रसार करने तथा क्षमता निर्माण को अधिक प्रभावी बनाने के लिए आईसीटी का व्यापक उपयोग किया जा रहा है।

(xii) एसएचजी और उनके संघों को परिक्रामी निधि (आरएफ) तथा सामुदायिक निवेश सहायता निधि (सीआईएसएफ) के रूप में वित्तीय सहायता दी जाती है, ताकि वे आय अर्जन के लिए आर्थिक कार्यकलाप शुरू कर सकें।

******